सं0–245/xxviii –5–2005–28/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल, देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक : 22 अक्टूबर, 2005

विषयः जनपद ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में चिकित्साधिकारी आवासीय भवनों के निर्माण की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प/1/आवास निर्माण/1/2005/16472 दिनांक 06.08.2005 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 में जनपद ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल में चिकित्साधिकारी आवासों के भवन निर्माण हेतु संलग्नानुसार रू0 61,45,000.00 (रू0 इकसठ लाख पैंतालीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक तथा वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष मे संलग्नकानुसार रू0 20,00,000.00 (रू0 बीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित शर्तानुसार प्रदान करते हैं।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3. भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि आहरित की जाएगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी प्राविधिक से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकि दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय,उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश, पूर्णतया निर्मित किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त भवन के अधूरे/निर्माणाधीन कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए तत्पश्चात परिव्यय की उपलब्धता के आधार पर नये कार्य प्रारम्भ किया जाए।

16. वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा टैंडर/कोटेशन विषयों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन किया जाए।

17. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाए।

18– उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210 –चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय – आयोजनागत –01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें, 110– अस्पताल तथा औषधालय, 14 आवासीय भवनों की व्यवस्था – 00 –24–गृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

19— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–55/वित्त अनुभाग–2/2005 दिनांक 21.10.2005 से प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक — यथोक्त

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

पृ0सं0– 245(1)/xxviii –5–2005–28/2005 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2— निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4— मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऊधमसिंह नगर/नैनीताल ।
5— जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर /नैनीताल ।
6— परियोजना प्रबन्धक, पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, उत्तरांचल ।
7— निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल।
8— वित्त अनुभाग–3
9— वित्त–व्यय नियंत्रण बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,सचिवालय देहरादून ।
10— गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0–245 / XXVIII–5–2005–28 / 2005 22.10.05 का संलग्नक

(धनराशि लाख रु0 में)

क्रम सं0	कार्य का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	लागत	वित्तीय वर्ष 205–06 में स्वीकृत धनराशि
1	रुद्रपुर में मुख्य चिकित्साधिकारी आवास एवं टाईप –2 आवासों का निर्माण ।	ऊधमसिंहनगर	पे0जा0निगम	34.10	10.00
2	बी0डी0पाडे चिकित्सालय में टाईप–4 आवासों का निर्माण ।	नैनीताल	पे0जा0निगम	27.35	10.00
			योग	61.45	20.00

(रु0 बीस लाख मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव